## प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –298 / 2023
अनवान : –

1. महेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर।

– **वादी**

**बनाम्**

1. राकेश कुमार पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सरोज देवी पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. मन्जू देवी पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. बोगी पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. गोमती पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. गीता पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89**

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

**निर्णय** **दिनांकः** 10/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 298 / 179 के कुल किता 2 का कुल क्षेत्रफल 17.7800 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक का 2409 / 248920 हिस्सा व रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 का खाता संख्या 110 / 65 के खसरा नं. 64 की कुल 7.2460 है0 भूमि में वादी व प्रतीवादीगण प्रत्येक का 1 / 84 हिस्सा तथा खाता संख्या 105 / 93 के कुल खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 125.0090 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक का 12729 / 1750126 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें जो वादी के पिता के देहान्त के बाद वादी व प्रतिवादीगण को विरास्तन हासिल हुई है।

प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 को उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है सारा हक ... उपरोक्त खातों की भूमि में वादी व

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:13:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीया स0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 298/179 के कुल किता 2 का कुल क्षेत्रफल 17.7800 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक का 2409/248920 हिस्सा व रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 का खाता संख्या 110/65 के खसरा नं. 64 की कुल 7.2460 है0 भूमि में वादी व प्रतीवादीगण प्रत्येक का 1/84 हिस्सा तथा खाता संख्या 105/93 के कुल खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 125.0090 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक का 12729/1750126 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिकी किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 298/179 की कुल 17.7800 है0 भूमि व रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 का खाता संख्या 110/65 के खसरा नं. 64 की कुल 7.2460 है0 भूमि व खाता संख्या 105/93 की कुल 125.0090 है0 भूमि उपरोक्त तीनों खातों में प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 के नाम कलमजन किया जाकर वादी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:13:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादी संख्या 1 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–जबरासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:13:22 IST
Reason: SelfAttested

## प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
## पर्चा डिक्री

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –298 / 2023

अनवान : –

1. महेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर।

– **वादी**

**बनाम्**

1. राकेश कुमार पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सरोज देवी पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. मन्जू देवी पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. बोगी पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. गोमती पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. गीता पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

**–प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 298 सन 2023 निर्णय दिनांक**

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 298 / 179 की कुल 17.7800 है0 भूमि व रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 का खाता संख्या 110 / 65 के खसरा नं. 64 की कुल 7.2460 है0 भूमि व खाता संख्या 105 / 93 की कुल 125.0090 है0 भूमि उपरोक्त तीनों खातों में प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:13:22 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–..........................